कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 26.05.2026

थाना किशनपुर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वांछित 25 हजार रुपये का इनामिया, हिस्ट्रीशीटर एवं अंतर्जनपदीय अपराधी गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी खागा के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 25.05.2026 को थाना किशनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 74/2026 धारा-309(6)/126(2)/352/351(3)/317(2) बी0एन0एस0 थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर से संबंधित वांछित 25 हजार रुपये का इनामिया, हिस्ट्रीशीटर एवं अंतर्जनपदीय अपराधी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 29.03.2026 को वादी शिवम यादव पुत्र विमलेश यादव निवासी ग्राम लोहारन डेरा मौजा रायपुर भसरौल थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर द्वारा थाना किशनपुर पर दी गई तहरीरी सूचना कि दिनांक 28.03.2026 को शाम करीब 07 बजे प्रार्थी अपने ट्रैक्टर से आ रहा था तभी टुटहवा पुल के पास 1. बलराम निषाद पुत्र स्व0 राजाराम निषाद, 2. नीरज निषाद पुत्र मेवालाल निषाद, 3. दो अज्ञात व्यक्ति निवासीगण ग्राम अर्जुनपुर रेवाड़ी मौजा रायपुर भसरौल थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर द्वारा ट्रैक्टर रुकवाकर शराब के नशे में प्रार्थी के साथ गाली-गलौज करना, विरोध करने पर आरोपीगण द्वारा लात-घूंसों से मारना-पीटना व प्रार्थी का 01 मोबाइल व ट्रैक्टर की चाबी जबरन ले लेना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आरोपीगणों के विरुद्ध थाना किशनपुर पर मु0अ0सं0 74/2026 धारा 309(6)/126(2)/352/351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों अभिययुक्तों द्वारा वादी के पास से 12,000/- रुपये भी छीने गए थे।

गिरफ्तारी का विवरण:- उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी पतारसी-सुरागरसी एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 25.05.2026 को थाना किशनपुर पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये के इनामिया/हिस्ट्रीशीटर वांछित अभियुक्त बलराम निषाद पुत्र स्व0 राजाराम निषाद उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुनपुर रेवाड़ी मौजा रायपुर भसरौल थाना किशनपुर

जनपद फतेहपुर को पहाड़पुर से किशनपुर जाने वाली सड़क पर बहदग्राम पहाड़पुर, पानी टंकी के पास थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर से, दिनांक 25.05.2026 को, समय करीब 16.05 बजे गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लूट/छीने गये रूपये में से 1320/- रूपये बरामद। बरामदगी के आधार पर थाना किशनपुर पर पंजीकृत उक्त अभियोग में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गई तथा गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 26.05.2026 को माननीय न्यायालय भेजा गया।

उक्त अभियोग में वांछित नीरज कुमार पुत्र मेवालाल निषाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुनपुर रेवाड़ी मौजा रायपुर भसरौल थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर को दिनांक 05.04.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त बलराम निषाद उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 28/03/26 को वह अपने भतीजे नीरज निषाद के साथ टुटहवा पुल के पास खड़ा था। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक से गाली-गलौज को लेकर विवाद हो गया, जिस पर दोनों ने चालक को ट्रैक्टर से उतारकर मारपीट की तथा उसकी जेब से 12,000 रुपये, एक मोबाइल फोन एवं ट्रैक्टर की चाबी छीन ली। घटना के बाद दोनों मोटरसाइकिल से फरार हो गए। अभियुक्त ने बताया कि लूट की रकम में से 3,000 रुपये व ट्रैक्टर की चाबी नीरज को दी थी तथा शेष रकम शराब व अन्य खर्चों में खर्च कर दी। उसके पास से 1,320 रुपये बरामद हुए, जो लूट की रकम के शेष पैसे हैं। अभियुक्त ने यह भी बताया कि पकड़े जाने के डर से उसने लूटा गया मोबाइल यमुना नदी में फेंक दिया था। नीरज निषाद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसके पास से 1,020 रुपये व ट्रैक्टर की चाबी बरामद हुई थी।

गिरफ्तारी अभियुक्त का नाम पता:-

बलराम निषाद पुत्र स्व0 राजाराम निषाद उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुनपुर रेवाड़ी मौजा रायपुर भसरौल थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर। **(HS 225-A)**

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समय – पहाड़पुर से किशनपुर जाने वाली सड़क पर बहदग्राम पहाड़पुर, पानी टंकी के पास थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर से, दिनांक 25.05.2026 को, समय करीब 16.05 बजे

बरामदगी का विवरण:-

लूट/छीने गये रूपये में से 1320/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 259/03 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना फीलखाना,जनपद कानपुर नगर
2.मु0अ0स0 217/03 धारा 392/120(बी) भादवि थाना फीलखाना,जनपद कानपुर नगर
3. मु0अ0स0 219/03 धारा 379/411 भादवि थाना फीलखाना,जनपद कानपुर नगर
4. मु0अ0स0 246/03 धारा 41/411 भादवि थाना फीलखाना,जनपद कानपुर नगर
5.मु0अ0स0 247/03 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना फीलखाना,जनपद कानपुर नगर
6. मु0अ0स0 065/03 धारा 379/411 भादवि थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
7. मु0अ0स0 209/03 धारा 379/411 भादवि थाना कलक्टरगंज जनपद कानपुर नगर
8. मु0अ0स0 149/03 धारा 379/411 भादवि थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
9. मु0अ0स0 037/07 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर
10. मु0अ0स0 126/10 धारा 379/411 भादवि थाना फीलखाना,जनपद कानपुर नगर
11. मु0अ0स0 379/14 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर
12. मु0अ0स0 467/14 धारा 41/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर
13. मु0अ0स0 573/14 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर
14. मु0अ0स0 211/15 धारा 174A भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर
15. मु0अ0स0 555/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर
16. मु0अ0स0 299/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर
17. मु0अ0स0 074/26 धारा 309(6)/126(2)/352/351(3)/317(2) बीएनएस थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राजनारायण नायक चौकी प्रभारी मड़ौली थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 प्रवीण यादव
3. रि0आ0 विवेक कुमार यादव
4. रि0आ0 शैलेश यादव

मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर